



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना-सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 539/2018 धारा- 304 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.राकेश वर्मा पुत्र गोपाल वर्मा 2.छोटे काछी पुत्र पुन्ना काछी नि0गण चांदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर 3.रामधीन पुत्र रत्ता कहार नि0वार्ड नं0 02 इमिलिया थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष के कारावास व ₹ 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 शरतचन्द्र
पटेल



पैरोकार- थाना-सुमेरपुर
का0 जगत सिंह